In the Court of Civil Judge (Jr. Div.)
Piro, (Bhojpur)
T.S.- 95/19

शेख फरीदुद्दीन वगैरह ..... वादी

बनाम

बिहार सरकार वगैरह ..... प्रतिवादीगण

वाद बिन्दु का निर्धारण

Dated 01-12-2025

1. क्या यह मुकदमा पोषणीय है?
2. क्या यह मुकदमा का बैध वाद हेतुक है?
3. क्या यह मुकदमा कालवाधित है?
4. क्या यह मुकदमा कानून वेभर व एक्वीसेन्स व स्टोपल के तहत चलने योग्य है?
5. क्या यह मुकदमा हाजा में कोर्ट फीस सही दिया है?
6. क्या वादी का यह दावा सही है कि ''सुधार कर दिया जाए कि वादी का पुराना खेसरा 1263 से नया खेसरा 2227 का है जिसका रकबा काटकर बिहार सरकार के खेसरा में मिला दिया गया है, वो गलत है एवं पुराना के अनुसार नया खेसरा का रकबा एवं नक्शा में सुधार किया जा सकता है''?
7. क्या वादी पक्ष द्वारा अपने वादपत्र में दिया गया वंशवृक्ष सही है?
8. क्या वादी द्वारा अपने दादरसी के पैरा 2 में किया गया दावा ''अस्थाई हुकुम इम्तनाई बर खिलाफ मुदालेहुम फर्दर फरमाया जाए कि ऐसा कोई कार्रवाई प्रतिवादी नहीं करे जिससे जरर वो हकतल्फी वादी होवे'' दिय जा सकता है?
9.. क्या वादी द्वारा वादपत्र में दिए सभी अनुतोष पाने का अधिकारी है?
10. क्या वादी अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी है?

कुंदन पासवान
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमंडल न्यायालय पीरो, (भोजपुर)
दिनांक– 01.12.2025